क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा
ए–1, प्रथम तल, कॉमर्शियल काम्प्लेक्स, बीटा–2, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर
ई–मेल : rogreaternoida@uppcb.in, फोन / फैक्स- 0120-4259329

सन्दर्भ संख्या : 1152/NGT-58/22 दिनांक : 12/12/22

To,

The Registrar,
The National Green Tribunal,
Principal Bench,
New Delhi
E-mail- judicial-ngt@gov.in

Sub: Report of The Joint Committee in compliance of the order dated 06.09.2022 passed by Hon'ble National Green Tribunal, New Dellhi in Original Application No. 551 of 2022 Dr. Ashok Kumar Versus State of U.P.

Sir,

That in compliance of the order dated 06.09.2022 passed by the Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi in Original Application No. 551 of 2022 Dr. Ashok Kumar Versus State of U.P., report of The Joint Committee is annexed herewith and forwarded to you with the request that the same may be placed before the Hon'ble Tribunal.

Yours Sincerely

Enclosure- As above

12.12.2022

(Radhe Shyam)
Regional Officer

Copy to:

1. Shri Pradeep Misra, Advocate on Record, Hon'ble Supreme Court/ NGT, New Delhi for persual and necessary action please.
2. Chief Environmental Officer, C-1, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information please.
3. Law Officer-1, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information and necessary action please.

Regional Officer

Compliance Report

In

Original Application No. 551/2022

Dr. Ashok Kumar

Versus

State of U.P.

<u>Order Date – 06.09.2022</u>

Filed on Behalf of:
Uttar Pradesh Pollution Control Board

1. **Background**

Hon'ble NGT passed order on 06.09.2022 in O.A. No. 551/2022 in the matter of Dr. Ashok Kumar Vs State of U.P.and relevant paras of the Order dated 06.09.2022 are reproduced below: -

"1. Dr. Ashok Kumar, President Saampooranam Apartment Owner Association has sent the present letter petition by email, which is treated and registered as original application. The applicant has submitted that their society 'EROS Sampoornam', which is situated at Sector-2 Greater Noida West, District Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh is surrounded by illegal Rodi/Bajri mixture plants from which continuous pollution is generated round the clock. The dumpers/trucks plying on service lanes are not only causing air and noise pollution but are also creating grave risk of accidents.

2. This Tribunal is empowered to take cognizance of the cases involving questions relating to environment arising out of the implementation of enactments specified in First Schedule of the National Green Tribunal Act, 2010 suo moto as held by Hon'ble Supreme Court in ***Municipal Corporation of Greater Mumbai V/s. Ankita Sinha and others 2021 SSC Online SC 897.*** *This Tribunal can also take cognizance of such cases on the basis of letter petitions in accordance with settled principles of law governing Public Interest Litigation.*

3. Prima facie, the averments made in the application raise questions relating to environment arising out of the implementation of the enactments specified in Schedule I to the National Green Tribunal Act, 2010. In view of the averments made in the application, we consider it appropriate that a Joint Committee be constituted to verify the factual position. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of representative of State PCB, District Magistrate, Gautam Bhudhnagar and direct the same to meet, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representatives of the concerned project proponents, verify the factual position and submit its report within one month by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF. The State PCB will be the nodal agency for coordination and compliance.........."

2. **Action taken by the Joint Committee:**

- In compliance of Hon'ble Tribunal's orders dated 06.09.2022, Joint inspection of unit was carried out on dated 15.10.2022 in the presence of complainant by the Joint Committee comprising of following officials:
  a. Smt. Komal Panwar, Sub Divisional Magistrate (Judicial), Tehsil-Dadri, District – Gautambuddh Nagar.
  b. Shri Ranjeet Singh, AEE, U.P. Pollution Control Board, Greater Noida.
  c. Shri Vivek Kumar, Junior Engineer, U.P. Pollution Control Board, Greater Noida
- During inspection, it was informed by the complainant to the Joint Committee that 01 illegal sand washing unit is operating near the Group housing society M/s Eros Sampooranam Apartment, which is the residence of complainant. The Joint Committee in presence of complainant visited the said unit. Main observation of the Joint Committeeare as follows: -
  1. Unit is operational as M/s PMSS Building Material Pvt. Ltd., Khasra no. 663, Vill. - Patwari, 130-meter road, near Eros Sampoornam society, Greater Noida west, Gautambuddh Nagar.
  2. Unit is situated approx. 400 meter towards west side of group housing project Eros Sampoornam society.
  3. Unit is engaged in separation of sand from clay by washing of clay through rotary washer. Impurity in form of soil slurry is separated through settling tank, which is being used for land filling in low line areas. Final product (sand) is being sold out to building material suppliers.

4. It was found that unit has not covered sand/ clay and loading/ unloading dumpers by green net and no provision has been provided for water sprinkling to suppress dust in premises.
5. It was found that Unit has not provided wind breaking wall to control fugitive emissions.
6. It was found that unit has not obtained permission (Consent to establish and Consent to operate) from U.P. Pollution Control Board and NOC from U.P. Ground Water Department.

- In view of above shortcomings observed by the Joint Committee, Regional Officer, UPPCB, Greater Noida (nodal agency) issued notice to the said unit, vide letter dated 19.10.2022 copy of same is annexed as **(Annexure-1.)**
- In continuation of above, Regional Officer, UPPCB, Greater Noidavide letter dated 19.10.2022 sent recommendation to ACEO, GNIDA (Greater Noida Development Authority) for imposing of Environmental Compensation of Rs. 1,00,000/- (One lakh) against said unit. GNIDA vide has imposed EC of Rs. 1.0 Lakh against said unit, letter dated 31.10.2022 copy of same is annexed as **(Annexure-2.)**
- In compliance of notice dated 19.10.2022, unit has submitted its representation on dated 19.11.2022 regarding shortcomings found during inspection, copy of same is annexed as **(Annexure-3.)**
- In view of reply submitted by the unit, a fresh inspection was carried out by officials of UPPCB on dated 21.11.2022. During inspection, it was found that unit has covered sand/ clay and loading/ unloading dumpers by green net and provided arrangement for water sprinkling, but unit has not applied for permission from UPPCB and UPGWD. Reply submitted by unit was found not satisfactory, and recommendation to take action under section 31A of the Air (Prevention and Control of

Pollution), 1981 against unit was sent to Head Office, UPPCB, Lucknow by Regional Officer, UPPCB, Greater Noida vide letter dated 23.11.2022.

- In view of recommendation sent by Regional Officer, UPPCB, Greater Noida, Closure order has been issued against the said unit by the Competent Authority of UPPCB, Lucknow vide letter dated 12.12.2022, copy of same is annexed as **(Annexure-4.)**
- In compliance of closure order dated 12.12.2022 issued by U.P. Pollution Control Board, Lucknow, sealing of plant machinery and 02 bore wells was done in presence of unit representative, Mr. Pankaj Tomar (Director) on dated 12.12.2022 to ensure closure of unit.

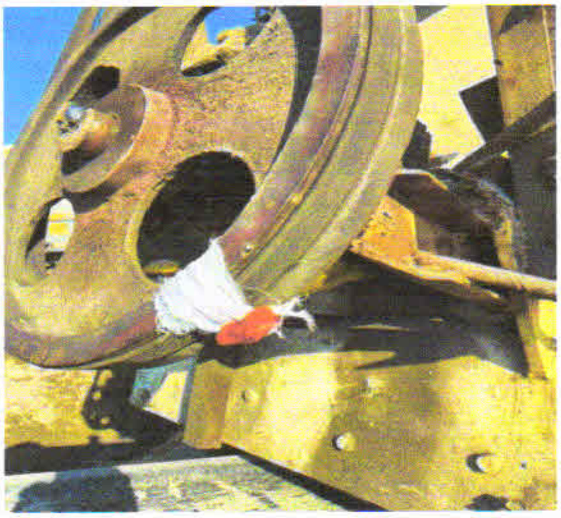

VIVEK

- In compliance of closure order, letter has been sent to Noida Power Corporation Ltd., Greater Noida to disconnect power supply of the said unit, copy of same is annexed as **(Annexure-5.)**

3. Conclusion:

In view of above, the Joint Committee observed the shortcoming as mentioned above and action has been taken by following due process of law. Report is being submitted for kind perusal and consideration please.

(Komal Panwar)
Sub Divisional Magistrate (Judicial),
Tehsil- Dadri, District – Gautambuddh Nagar.

(Ranjeet Singh)
Assistant Environmental Engineer
UPPCB, Greater Noida

(Vivek Kumar)
Junior Engineer
UPPCB, Greater Noida

Annexure-1

क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा
ए–1, प्रथम तल, कॉमर्शियल काम्प्लेक्स, बीटा–2, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर
ई–मेल : rogreaternoida@uppcb.in, फोन/फैक्स. 0120–232102

सन्दर्भ संख्या : 932/HGT-58/22 दिनांक : 19/10/22

मेसर्स पीएमएसएस बिल्डिंग मैटेरियल प्रा0लि0,
खसरा नं0– 663, ग्राम पतवाड़ी, 130 मीटर रोड,
निकट इरोज सम्पूर्णम सोसाइटी,
ग्रेटर नोएडा वेस्ट, गौतमबुद्धनगर।

विषयः जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

संदर्भः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0 551/2022 डॉ0 अशोक कुमार बनाम उ0प्र0 सरकार एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.09.2022 के अनुपालन हेतु।

उपरोक्त विषयक अवगत हों कि आपकी इकाई से हो रहे वायु प्रदूषण के सम्बन्ध में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0 551/2022 डॉ0 अशोक कुमार बनाम उ0प्र0 सरकार एवं अन्य योजित है। मा0 अधिकरण द्वारा उक्त ओ0ए0 में पारित आदेश दिनांक 20.09.2022 के अनुपालन में आपकी इकाई का संयुक्त निरीक्षण दिनांक 15.10.2022 को किया गया। निरीक्षण के उपरान्त इकाई में पायी गयी कमियों के निराकरण हेतु निम्न बिन्दुओं पर अनुपालन अपेक्षित है–

1. इकाई का संचालन राज्य बोर्ड से सहमति जल एवं वायु प्राप्त करने के उपरान्त किया जाये।
2. इकाई द्वारा भूगर्भ जल निष्कर्षण हेतु उ0प्र0 भू–गर्भ जल विभाग से अनुमति प्राप्त की जाये।
3. इकाई परिसर में भण्डारित स्टोन डस्ट, मिट्टी एवं सैण्ड को ग्रीन नेट आदि को ग्रीन नेट से ढकने एवं नियमित वाटर स्प्रिंकलिंग सुनिश्चित की जाये।
4. इकाई में कच्चे माल एवं उत्पाद के लोडिंग/अनलोडिंग एवं वाहनों/डम्परों के आवागमन से जनित वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु नियमित वाटर स्प्रिंकलिंग सुनिश्चित की जाये।
5. इकाई में प्रक्रिया से जनित वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु विण्ड ब्रेकिंग वॉल का निर्माण एवं रख–रखाव सुनिश्चित किया जाये।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित कमियों/निर्देशों की अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करें तथा इकाई के संचालन हेतु वांछित सूचनाओं व सहमति शुल्क के साथ ऑनलाइन पोर्टल (https://niveshmitra.up.nic.in) के माध्यम से सहमति जल एवं वायु प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में इकाई के विरूद्ध अधिनियमान्तर्गत कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं इकाई के उत्तरदायी पदाधिकारियों का होगा।

(भुवन प्रकाश यादव)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

Annexure-2

ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

01, सैक्टर नॉलेज पार्क–4, ग्रेटर नौएडा सिटी–201310
जनपद गौतमबुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश)

पत्रांकः–प्रोजक्ट / वर्क सर्किल–3 / 2022 / 126

दिनांक 31.10.2022

सेवा में,

मैसर्स पी0एम0एस0एस0 बिल्डिंग मैटेरियल प्रा0 लि0
खसरा सं0– 663, ग्राम पतवाड़ी, 130मी0 रोड़
निकट इरोज सम्पूर्णम सोसाइटी, ग्रेटर नौएडा वेस्ट,
गौतमबुद्ध नगर।

विषयः– मैसर्स पी0एम0एस0एस0 बिल्डिंग मैटेरियल प्रा0 लि0,खसरा सं0– 663, ग्राम पतवाड़ी, 130मी0 रोड़, निकट इरोज सम्पूर्णम सोसाइटी, ग्रेटर नौएडा वेस्ट, गौतमबुद्धनगर के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति प्रशमन आरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नौएडा के क्षेत्रीय अधिकारी के पत्रांक सन्दर्भ संख्या–938 / सा0–-66/2022 दिनांक 19.10.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करना चाहें (प्रतिलिपि संलग्न), जिसमें उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों एवं ग्रेप के अनुपालन के कम में ग्रेटर नौएडा क्षेत्रान्तर्गत कार्यालय के अधिकारियों द्वारा सन्दर्भित परियोजना का निरीक्षण दिनांक 15.10.2021 को किया गया। निरीक्षण के समय परिसर के अन्दर करस्ट्रक्शन मैटेरियल खुले में भण्डारित पाया गया। उक्त पर वायु प्रदषण के रोकथाम हेतु प्रभावी व्यवस्था नहीं पायी गयी, जिससे डस्ट इमीशन की समस्या पायी गयी। उपरोक्त के दृष्टिगत निर्माणाधीन परियोजना मैसर्स पी0एम0एस0एस0 बिल्डिंग मैटेरियल प्रा0 लि0, खसरा सं0– 663, ग्राम पतवाडी, 130मी0 रोड़,निकट इरोज सम्पूर्णम सोसाइटी, ग्रेटर नौएडा वेस्ट, गौतमबुद्ध नगर पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति प्रशमन रू0 1,00,000.00 (रू0 एक लाख मात्र) आरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा की गयी संस्तुति के कम मे ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण क्षेत्र में एन0जी0टी0 के दिशा निर्देशों का उल्लंघन कर वायु प्रदूषण फैलाने के लिए आपके ऊपर रू0 1,00,000.00 (रू0 एक लाख मात्र) का अर्थदण्ड रोपित किया जाता है। आरोपित अर्थदण्ड की धनराशि को निम्नानुसार 15 दिन में प्राधिकरण जमा कराया जाना सुनिश्चित करे एवं साथ ही जमा की गयी धनराशि की रसीद की एक प्रति प्राधिकरण के बिल्डर्स / संस्थागत विभाग एवं अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करे।

विकल्प–1:– आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से A/c Title GNIDA recovery NGT panalty A/c no. 50100118996050, IFSC code 0000278, HDFC Bank, Greater Noida

विकल्प–2:– Demand draft के माध्यम से to be deposited in favour of Greater Noida Industrial Development Authority payable at Noida A/C No. 50100118996050, IFSC code 0000278, HDFC Bank, Greater Noida.

इसके अतिरिक्त आपको निर्देशित किया जाता है कि निर्माण कार्यो मे प्रयोग होने वाली सामग्री को पूर्ण रूप से कवर करना सुनिश्चित करे एवं पानी का छिडकाव प्रतिदिन करते रहें ताकि वायु प्रदूषण को रोका जा सके। उक्त के अतिरिक्त वायु प्रदूषण के दृष्टिगत मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा जारी आदेशो का अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

(चेतराम सिंह)
वरिष्ठ प्रबन्धक, वर्क सर्किल–3

प्रतिलिपिः–

1. स्टाफ आफीसर को अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (डी0 / पी0 / ए0) महोदय / महोदया के सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. महाप्रबन्धक (वित्त) महोदय को सूचनार्थ प्रेषित।
3. महाप्रबन्धक (अभियन्त्रण) / नोडल अधिकारी एन0जी0टी0 महोदय को सूचनार्थ प्रेषित।
4. सहायक महाप्रबन्धक (संस्थागत) महोदय को सूचनार्थ प्रेषित।
5. सहायक महाप्रबन्धक (अर्बन सर्विस) महोदय को सूचनार्थ प्रेषित।
6. वरिष्ठ प्रबन्धक (स्वास्थ्य) / नोडल अधिकारी एन0जी0टी0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. वरिष्ठ प्रबन्धक (नियोजन) को सूचनार्थ।
8. प्रबन्धक (बिल्डर्स) को सूचनार्थ प्रेषित।
9. क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नौएडा को सूचनार्थ प्रेषित।
10. प्रबन्धक / सहायक प्रबन्धक, वर्क सर्किल–3 को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

31/10/2022

वरिष्ठ प्रबन्धक, वर्क सर्किल–3

Annexure-3

सेवा में,

उत्तर प्रदेश प्रदुषण नियन्त्र बोर्ड,

विषयः सन्दर्भ संख्या ९३२/NGT -५०/२२ के सम्यन्ध में अनुपालन आख्या पत्र।

महाशय,

विनम्र निवेदन है की उपरोक्त विषय में सूचित करना चाहते है आपके द्वारा निर्देशित कमियों/निर्देशों पर हमने कार्य किया है, जो निम्नलिखित है।

१. निर्देशः- इकाई का सञ्चालन राज्य बोर्ड से सहमति जल और वायु प्राप्त करने के उपरांत किया जाय।

अनुपालनः - महाशय, इस विषय में हमने सहमति हेतु राज्य बोर्ड में निवेदन कर दिया है। सहमति पत्र प्राप्त होने पर हम अवश्य ही पत्र जमा कर देंगे।

२. निर्देशः - इकाई द्वारा भूगर्भ जल निष्कर्षण हेतु उत्तर प्रदेश भू-गर्भ जल विभाग से अनुमति प्राप्त की जाये।

अनुपालनः- भू-गर्भ जल विभाग में हमने आवेदन कर दिया, अनुमति पत्र प्राप्त होने पर सूचित कर दिया जायेगा।

३. इकाई परिसर में भंडारित स्टोन डस्ट, मिटटी और सैंड को ग्रीन नेट आदि से ढकने और नियमित वाटर स्प्रिकलिंग सुनिश्चित की जाये।

अनुपालनः- उपरोक्त विषय में सूचित करना चाहते है, की हमने इकाई परिसर में भंडारित स्टोन डस्ट, मिटटी और सैंड को ग्रीन नेट से ढक दिया है, तथा आगे भी यह प्रक्रिया जारी रहेगी यह सुनिश्चित करना चाहते है। इसके लिए प्रबंध कर दिए गए है।

४. इकाई में कच्चे माल और उत्पाद के लोडिंग/अनलोडिंग और वाहनों, डम्परों के आवागमन से जनित वायु प्रदुषण के नियंत्रण हेतु नियमित वाटर स्प्रिकलिंग सुनिश्चित की जाये।

अनुपालनः- उपरोक्त विषय में सूचित करना चाहते है की लोडिंग, अनलोडिंग के दौरान वायु प्रदुषण के नियंत्रण के लिए वाटर स्प्रिकलिंग की जा रही है, तथा सदैव इस प्रक्रिया को जारी रखा जायेगा।

५. इकाई में प्रक्रिया से जनित वायु प्रदुषण के नियंत्रण हेतु विंड ब्रेकिंग वाल का निर्माण और रख-रखाव सुनिश्चित किया जाये।

अनुपालनः- महाशय, सूचित करना चाहते है की विंड ब्रेकिंग वाल के निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, तथा रख-रखाव का भी ध्यान रखा जा रहा है।

अतः श्रीमान से अनुरोध है की उपरोक्त अनुपालनो के आधार पर हमें इकाई के सञ्चालन की अनुमति प्रदान करें। इसके लिए हम सदा आपके आभारी रहेंगे।

For PMSS BUILDING MATERIAL PVT. LTD.

Director

19/11/21

आपका विश्वासभाजन,

मेसर्स पीएमएसएस बिल्डिंग मटेरियल प्राइवेट लिमिटेड,

ग्रेटर नोएडा, वेस्ट, गौतम बुद्ध नगर।

Annexure-4

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref No- H85449 / C-1 / वायु / सा0–1120 / बन्दी आदेश / 2022 Date: 12.12.22

पंजीकृत

सेवा में,

मैसर्स पीएमएसएस बिल्डिंग मैटेरियल प्रा0लि0,
खसरा नं0–663, ग्राम पतवाड़ी, 130 मीटर रोड,
निकट इरोज सम्पूर्णम सोसाइटी,
ग्रेटर नोएडा वेस्ट, गौतमबुद्धनगर।

यह कि मैसर्स पीएमएसएस बिल्डिंग मैटेरियल प्रा0लि0, खसरा नं0–663, ग्राम पतवाड़ी, 130 मीटर रोड, निकट इरोज सम्पूर्णम सोसाइटी, ग्रेटर नोएडा वेस्ट, गौतमबुद्धनगर जो स्टोन डस्ट को रोटरी वाशर द्वारा पानी से धुलाई कर मिट्टी एवं सैण्ड को पृथक्कीकरण कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर संचालित है, जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–40 के अर्न्तगत एक कम्पनी है।

यह कि इकाई मैसर्स पीएमएसएस बिल्डिंग मैटेरियल प्रा0लि0, खसरा नं0–663, ग्राम पतवाड़ी, 130 मीटर रोड, निकट इरोज सम्पूर्णम सोसाइटी, ग्रेटर नोएडा वेस्ट, गौतमबुद्धनगर का निरीक्षण ओ0ए0 संख्या 551 / 2022 डॉ0 अशोक कुमार बनाम उ0प्र0 सरकार एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.09.2022 के अनुपालन में दिनांक 15.10.2022 एवं वर्तमान निरीक्षण दिनांक 21.11.2022 को किया गया। निरीक्षणोपरांत उक्त इकाई को क्षेत्रीय कार्यालय के पत्रांक 932 / सा0–66 / 22 दिनांक 19.10.2022 द्वारा नोटिस प्रेषित किया गया, जिसके प्रतिउत्तर में भूगर्भ जल निष्कर्षण हेतु उ0प्र0 भूगर्भ जल विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने एवं राज्य बोर्ड से संचालनार्थ सहमति जल / वायु प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन किये जाने का उल्लेख किया गया है। किन्तु इकाई के प्रतिउत्तर के साथ आवेदन की प्रति प्रेषित नहीं की गयी है और न ही ओ0सी0एम0एम0एस0 की वेबसाइट पर पेन्डिंग सूची में है। निरीक्षण के समय इकाई में जल आपूर्ति हेतु 02 नग बोरवेल (3.5 एच0पी0 एवं 1.5 एच0पी0) स्थापित पाया गया। निरीक्षण के दौरान उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा उक्त बोरवेल से भूगर्भ जल निष्कर्षण हेतु उ0प्र0 भू–गर्भ जल विभाग द्वारा निर्गत रजिस्ट्रेशन / अनुमति उपलब्ध नहीं करायी गयी। संयुक्त निरीक्षण दिनांक 15.10.2022 में इकाई परिसर के अन्दर कच्चे माल को खुले में भण्डारित होने एवं उचित जल छिड़काव न होने के दृष्टिगत क्षेत्रीय कार्यालय के पत्रांक 932 / सा0–66 / 22 दिनांक 19.10.2022 द्वारा ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण को पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू0 1,00,000 / –(रू0 एक लाख मात्र) अधिरोपित किये जाने का पत्र प्रेषित किया गया है। इकाई का संचालन राज्य बोर्ड से सहमति जल एवं सहमति वायु प्राप्त किये बिना ही किया जा रहा है, जो जल एवं वायु अधिनियमों के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा उद्योग द्वारा किये जा रहे वायु प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रर्भाव को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अंतर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में आपकी औद्योगिक इकाईयों के विरूद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए उद्योग के संचालन को रोका जाये।

प्राप्त किया

2........ / –

Pankaj tomar, Director
8800696719

टी0सी0–12वी, विभूति खण्ड
गोमती नगर, लखनऊ–226010
दूरभाष : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
फैक्स : 0522-2720764

TC-12V, Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
Phone : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
Fax : 0522-2720764

वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में आपकी औद्योगिक इकाईयों को सक्षम अधिकारी के अनुमति से निम्नलिखित बंदी आदेश जारी किये जाते हैः–

1. यह कि मैसर्स पीएमएसएस बिल्डिंग मैटेरियल प्रा0लि0, खसरा नं0–663, ग्राम पतवाड़ी, 130 मीटर रोड, निकट इरोज सम्पूर्णम सोसाइटी, ग्रेटर नोएडा वेस्ट, गौतमबुद्धनगर की संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाये।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है मैसर्स पीएमएसएस बिल्डिंग मैटेरियल प्रा0लि0, खसरा नं0–663, ग्राम पतवाड़ी, 130 मीटर रोड, निकट इरोज सम्पूर्णम सोसाइटी, ग्रेटर नोएडा वेस्ट, गौतमबुद्धनगर को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ–साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–1)

प्रतिलिपि :–

1. जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
2. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, ग्रेटर नोएडा को इस आशय से प्रेषित की उद्योग की विद्युत आपूर्ति तत्काल विच्छेदित करने का कष्ट करे।
3. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित कराकर अनुवर्ती कार्यवाही सहित अनुपालन आख्या ससमय मुख्यालय प्रेषित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–1)

Annexure-5

UPPCB

क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा

ए–1, प्रथम तल, कॉमर्शियल काम्प्लेक्स, बीटा–2, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर

ई–मेल : rogreaternoida@uppcb.com, फोन / फैक्स. 0120.2321024

सन्दर्भ संख्या : 1151 /NGT-58/22

दिनांक : 12/12/22

सेवा में,

महाप्रबन्धक,
नोएडा पावर कार्पोरेशन लि0,
नॉलेज पार्क–1,
ग्रेटर नोएडा।

विषयः मेसर्स पीएमएसएस बिल्डिंग मैटेरियल प्रा0लि0, खसरा नं0– 663, ग्राम पतवाड़ी, 130 मीटर रोड, निकट इरोज सम्पूर्णम सोसाइटी, ग्रेटर नोएडा वेस्ट, गौतमबुद्धनगर के विद्युत कनेक्शन विच्छेदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्र सं0 एच85449 / सी–1 / वायु / सा0–1120 / बन्दी आदेश / 2022 दिनांक 12.12.2022 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। तत्क्रम में अवगत कराना है कि मेसर्स पीएमएसएस बिल्डिंग मैटेरियल प्रा0लि0, खसरा नं0– 663, ग्राम पतवाड़ी, 130 मीटर रोड, निकट इरोज सम्पूर्णम सोसाइटी, ग्रेटर नोएडा वेस्ट, गौतमबुद्धनगर को बोर्ड मुख्यालय के पत्र दिनांक 12.12.2022 द्वारा बंदी आदेश निर्गत किया गया है, जो उद्योग को सम्बोधित एवं उद्योग का विद्युत विच्छेदन किये जाने हेतु आपको पृष्ठांकित किया गया है।

अतः बोर्ड मुख्यालय के पत्र दिनांक 12.12.2022 द्वारा निर्गत बंदी आदेश इस आशय के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है कि बंदी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु सम्बन्धित कार्मिक को निर्देशित करने का कष्ट करें तथा कृत कार्यवाही / अनुपालन आख्या से इस कार्यालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(राधेश्याम) 12/12/22
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
1. जिलाधिकारी महोदय, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी

NOIDA POWER COMPANY LIMITED
DOCUMENT RECEIVED,
CONTENT NOT CHECKED
Date : 12/12/2022

E:\JE Vivek Kumar\NPCL Letter.docx